रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CB 27/5/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 1985/कार्तिक 7, 1907
No. 477] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 1985/KARTIKA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 817(अ) :—केन्द्रीय सरकार, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 429 (अ) तारीख 2 जून, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 1 के उप पैरा (2) में "सत्रह महीने" शब्दों के स्थान पर "अठारह महीने" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. 11013/1/84-एफ. आई.]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

(रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 666 (अ) तारीख 24 अगस्त, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की सारणी में क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	पैरासिटामाल सिरप	125 मि. ग्रा./60 मि. लि. 5 मि. लि.	4.37"	

[सं. 9(44)/85-डी-2]

डा. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 28th October, 1985

ORDER

S.O. 788(E).--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilisers (Department of Chemicals and Fertilisers) No. S.O. 666(E), dated the 24th August, 1981, namely :—

In the Table below the said Order, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	Paracetamol Syrup	125mg/5ml.	60ml	4.37"

[No. 9(44)/85-D. II]

DR. R. V. VAIDYANATHA AYYAR, Jt. Secy. and Development Commisioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985